कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क्र. 1444 / विद्युत शाखा / 2025 कोरबा दिनांक 06.11.2025.

सिस्टम टेण्डर नं. 178816

द्वितीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग (विद्युत कार्य) में एकीकृत पंजीयन प्रणाली सक्षम श्रेणी **वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी के साथ विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत / ए क्लास लाईसेंसी ठेकेदारों से** निम्नलिखित कार्य हेतु शेड्यूल अनुसार आयटम दर पर निविदा प्रपत्र From-B में ई–प्रोक्यूरमेंट (E- Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है:–

	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (DD)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	सर्वमंगला नगर जोन के सड़क रोशनी का (डे–टू–डे) मरम्मत कार्य हेतु वार्षिक दर निर्धारण।	52,20,000 / –	39,200 / –	12 माह	3000/-	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	26.11.2025 से

शर्तें:–

1. In order to participate in the tenders floated using the e-procurement system, all Contractors/bidders are required to get enrolled on the e-procurement portal (http://eproc.cgstate.gov.in)
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी। निविदा प्रस्तुत करने पर अपात्र माना जावेगा।
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुंक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण पत्र / पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
   - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन– 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
   - निविदाकार को निर्धारित शपथ पत्र में प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रू. 100 / – नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। मूलप्रति लिफाफा के साथ एवं स्केन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
   - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो, स्केन कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पूर्ण किए गए कार्यो के प्रत्येक देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष की गांरटी के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता के 01 वर्ष पश्चात सुरक्षा राशि को कार्य के सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों की धारा 1952 के तहत् निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह की अवधि में जमा किये गये TRRN Payment Details चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में सफल निविदकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रू. 10.00 लाख या उससे अधिक है,उनको प्रत्येक कार्यो हेतु पृथक से छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।

7. शासन के विभिन्न विभागों जैसेः– खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबधित ठेकेदार की होगी।

8. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

9. कार्य प्रारंभ नही करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तत् समय में एमआईसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

10. . उक्त कार्य में लगे श्रमिको को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

11. निविदा प्रपत्र फार्म –बी की कंडिका 11 अनुसार एस्कलेशन देय नहीं होगा।

12 ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यो के देयकों का भुगतान बजट आवंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

14. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

15. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

16. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

17. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।

18. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि :–

प्रोग्रामर, संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्य की प्रकृति, नियम, शर्ते एवं अर्थदण्ड

1. एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट फिटिंग के खराब पुर्जे जैसे ड्राईवर, पी.सी.बी. लेन्स एवं ग्क्लास, कॉपर वायर, होल्डर आदि के सुधार एवं बदलने का कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रभारी अभियंता के देख रेख में किया जायेगी।
2. सभी स्ट्रीट लाईटो को सूर्यास्त से पहले ऑन और सूर्यादय से पहले ऑफ ठेकेदार द्वारा किया जायेगा यह कार्य वर्ष में 365 दिनों तक बिना रुकावट के किया जायेगा। यदि अतिरिक्त फिटिंग लगाई जाती है। तो वहा भी इस निविदा में साम्मिल होगी।
3. यदि रात में स्ट्रीट लाईट के सर्किट/टायमर पैनल में खराबी आती है तो उसे उसी रात में सुधारने की ज्वाबदारी ठेकेदार की होगी।
4. ठेकेदार द्वारा मेन्टेंनेस कार्य में लगाये गये इलेक्ट्रशियन के पास आई.टी.आई.पास/लाईन मेन का लाईसेंस होना अनिवार्य है एवं हेल्पर जिसके पास विद्युत कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
5. ठेकेदार द्वारा मेन्टेंनेस कार्य में रखे कर्मचारियो की आयु 18 से 45 होनी चाहिए। कम या अधिक उम्र के कर्मचारी नहीं रखे जा सकेगे।
6. ठेकेदार को छ.ग.प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्त की धाराओं एवं नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1960 व कांट्रेक्ट लेबर 1996 के तहत नियमो का पालन करना होगा। कार्य अंतर्गत रखे गये इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर की सुरक्षा बीमा, चिकित्सा सुविधा, बोनस, प्रोविडेन्ट फंड एवं किसी भी प्रकार की कार्य के दौरान दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7. यह जारुरी है कि ठेकेदार को एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट में प्रयुक्त बिजली के पुर्जे आदि की चोरी से बचने के लिए 24 घंटे के लिए स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार को करना होगा। निगम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। रोड के किराने सड़क बत्ती के पोलो को वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने पर क्षेत्र के थाने में प्राथमिक सूचना ठेकेदार को दर्ज करानी होगी।
8. ठेकेदार को एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट की फिटिंग को जहॉ है जैसा हैं आधार पर लेना होगा।
9. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा साधन जैसे सेफ्टी शूज, हेल्मेंट, रबर, हैण्ड, ग्लोब्स, सेफ्टी बेल्ट, दिया जाना आवश्यक है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सुधार कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी कार्य के दौरान सुरक्षा साधन का इस्तेमाल करें और ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कर्य के दौरान सुधार कर्मियो द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
10. वार्षिक निविदा समाप्ति के पश्चात ठेकेदार को एल.ई.डी.फिटिंग एवं टायमर पैनल एवं मेन स्वीच आदि को चालू हालत में सौपना होगा अथवा एल.ई.डी. फिटिंग, टायमर की बाजार दर से कीमत और सुपरवाइजरी चार्ज ठेकेदार के बिल एवं सुरक्षा निधि से काट लिया जायेगा।
11. ठेकेदार द्वारा कार्य के सुपरविजन हेतु सुपरवाईजर रखना आवश्यक है, साथ ही सुपरवाईज के पास मोबाईल होना आवश्यक है एवं मोबाईल 24 घंटे चालू होना सुनिश्चित किया जाये यदि ऐसा नहीं किया जाता तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12. जोन में स्काई लिफ्ट गाडी सप्ताह में 02 दिन ठेकेदार को निगम द्वारा प्रदान की जावेगी। अतिरिक्त दिनों के स्काई लिफ्ट की मांग उपलब्धता के आधार पर राशि रु. 3,800/– प्रतिदिन के हिसाब से स्काई लिफ्ट कार्य हेतु दी जोवगी जिसकी कटौति मासिक बिल से की जावेगी। कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाली सीढी ठेकेदार द्वारा इलेक्ट्रीशियन को उपलब्ध कराई जायेगी।
13. निदान 1100, जन समान्य एवं वार्ड पार्षद की शिकायतो का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे के भीतर किया जाना आवश्यक है, इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जोवगी।
14. एबस्ट्रेक्ट में वर्णित एल.ई.डी. लाईट, भवन, उद्यानो, जोन ऑफिस, एस.एल.आर.एम. सेन्टर आदि में लगे फंखे, लाईटो एवं उपकरणो का सुधार कार्य इंजीनियर इनचार्ज के निर्देशानुसार करना होगा।
15. त्योहारो, छठपूजा एवं गणेश विसर्जन आदि आयोजनो में पार्षद, आम नगारिको की मांग अनुसार अतिरिक्त हैलोजन लाइटे इजीनियर इन चार्ज के निर्देशानुसार विभिन्न स्थानो पर ठेकेदार को लगानी होगी।

अर्थदण्ड

1. निगम के अभिंयताओ का सयुक्त निरीक्षण समय –समय पर किया जावेगा। यदि कोई फिटिंग बंद/खराब पाई जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह पिछले दिन से खराब है और इसके लिए उसके बिल से राशि रु. 50/– प्रतिदिन प्रति लाईट के हिसाब से बिल से काटा जावेगा।
2. निगम क्षेत्र के एल.ई.डी. सड़क बत्ती अधिक्तर हैब्वल्स, बाजाज, सूर्या, ओरिएन्ट, वाटो हैलोनिक्स, पाइरोटेक एवं सन अल्ट्रा आदि मेक की है अतएव मेक की अनुरुप ओरिजन स्पेयरपार्ट बदला जाना आवश्यक है। किसी दूरसे मेक के समान का उपयोग मेन्टेनेस कार्य के दौरान पाये जाने पर पूरी फिटिंग के दर के मुख्य के बराबर की राशि बिल से काट ली जावेगी एवं ठेकेदार को बदले जाने वाले स्पेयर पार्ट का उपयोग पूर्व निगम के अभियंताओ दिखाया जाना आवश्यक है एवं बदले जाने वाला खराब स्पेयर पार्ट जोन ऑफिस में जमा करना होगा।
3. सभी स्थानो पर लोड के अनुरुप मेन स्वीच एवं टाईमर पैनल लगे है जिन्हे खराब होने के स्थिति में समान्य क्षमता एवं आई.एस.आई. माप दण्ड के स्पेयर से बदला जाना आवश्यक है। यदि ठेकेदार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता उस स्थिति में पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. के दर से समाग्री की राशि बिल से काट ली जावेगी।

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		06.11.2025	15.30	06.11.2025	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	06.11.2025	15.30	24.11.2025	17.30	
3		Physical Document Submmission	06.11.2025	15.30	26.11.2025	15.00	
4	Tender Open		26.11.2025	16.00	--	--	

SUPRITENDING ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)